संघ विधान (नियमावली)
Rajasthan College Education Society (Raj-CES)

1. संस्था का नामः–इस संस्था का नाम Rajasthan College Education Society (Raj-CES) है व रहेगा।

2 संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः– The Registered head office of the society shall be at the Commissionrate/Directorate, College Education, Shiksha Sankul, Jaipur. The Society may open its operational office at Districts and any other location in the State of Rajasthan as per requirement.The area of operation for the Society shall be entire Rajasthan and any other place as may be decided by the Governing Board of the Society time to time.

3. संस्था के उद्देश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैः–

1 To provide education of high quality and enhance prospect of value research in the State of Rajasthan.

2 To establish, operate, maintain & manage College under society.

3 Enhance employment potential of the youths of Rajasthan in higher education sector.

4 To render facilities for conducting research activities relating to various specialties.

5 To put best endeavour to maintain and run Colleges under society in the State of Rajasthan.

6. To organize and run services like seminar, workshop, symposium, conference etc. to strengthen analytical approach in the field of research.

7. To synchronize with other specialty education institutes situated in Rajasthan or elsewhere.

8 To perform the other objectives associated with the objectives mentioned above and also to perform the any other objectives assigned in the related field by the State Government.

9 To develop such management as to encourage faculty for scholarly achievement, creativity, collegiality, professional competence and leadership ability and desire to teach and willingness to cooperate with other institutions in promoting the work and welfare of the college as a whole.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. शासी निकाय (Governing Body) के अधिकार और कर्तव्यः–

1. वार्षिक बजट पारित करना एवं लेखों का अनुमोदन करना।
2. कार्यकारी समिति द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना।
3. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करवाने की राज्य सरकार को अभिशंषा करना।

5. शासी निकाय (Governing Body) की बैठकें:–

1. शासी निकाय की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2 शासी निकाय की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

6. कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठनः–संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्ष– एक
2. उपाध्यक्ष–एक
3. सदस्य सचिव–एक
4. सदस्य – चार

इस प्रकार कार्यकारी समिति में तीन पदाधिकारी व चार सदस्य, कुल सात सदस्य होंगे।

7. कार्यकारी समिति (Executive Committee) के अधिकार और कर्तव्यः–संस्था की कार्यकारी समिति के निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगेः–

1. वार्षिक बजट तैयार करना, लेखों का संधारण।
2. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
3. वैतनिक कर्मचारियों की सेवा नियम एवं शर्तों का निर्धारण करना,
4. नियमानुसार नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. शासी निकाय/राज्य सरकार द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना।
6. कार्यों का मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण।
7. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
8. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

8. कार्यकारी समिति (Executive Committee) की बैठकें:–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम कार्यकारी समिति की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारी समिति के कम से कम दो पदाधिकारियोंकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि शासी निकाय की आगामी बैठक में कराना आवश्यक होगा।

9. कार्यकारी समिति (Executive Body) के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः–संस्था की कार्यकारी समिति के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्षः–

1. बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना ।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. सदस्य सचिवः

1. बैठकें आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन मानदेय व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।
8. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
9. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
10. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
11. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

10. संस्था का कोषः– संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः–

1. स्थानीय फण्ड यथा–डीएमएफटी, सीएसआर, सांसद कोष, विधायक कोष एवं राज्य सरकार आदि से प्राप्त होने वाले अनुदान
2. सेवा प्रदाता संस्था से प्राप्त हिस्सा राशि
3. अन्य वित्तीय सहायता
4. राजकीय अनुदान (केन्द्र एवं राज्य सरकार)
5. अन्य प्राप्तियां/ट्रस्ट व अन्य से प्राप्त दान।

11. बैंक खाताः–

1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। इस हेतु वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जा सकेगा।

2 कार्यकारी समिति द्वारा अधिकृत सोसायटी कार्यालय के दो अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा। लेन देन का माध्यम नकद नहीं होगा।

12. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारः–

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों व निर्देशों के अनुरूप संस्था की राशि स्वीकृत कर सकेंगेः–

1 कार्यकारी समिति 100 प्रतिशत उपलब्ध फण्ड अनुसार।
2. चेयरमेन, कार्यकारी समिति 50.00 लाख रु तक।

13. संस्था का अंकेक्षणः–

1. अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारी समिति द्वारा की जायेगी।
2. संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।
3. वार्षिक लेखों का अकेक्षण महालेखाकार द्वारा कराया जावेगा।

14. संस्था का विघटनः–

शासी निकाय/राज्य सरकार द्वारा संस्था के विघटन का प्रस्ताव पारित किये जाने पर संस्था की उधारी के चुकारा किये जाने के पश्चात् संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी।

15. संस्था के रिकार्ड का निरीक्षणः—

राज्य सरकार को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

16. विधिक प्रक्रियाः—

सोसाइटी पर दर्ज समस्त वादकरण के लिए अध्यक्ष कार्यकारी समिति अधिकृत होगे ए वादकरण का क्षेत्राधिकार जयपुर, राजस्थान होगा।